न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2011 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. रामसहाय पुत्र रामफूल
2. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मण
3. हनुमान पुत्र नानगा
4. चिरंजी पुत्र गेंदा

समस्त जाति मीणा निवासी बाडजीता तहसील लालसोट जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति नर्बदा देवी पत्नि नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी अमराबाद तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा
3. नैना देवी पत्नि काना जाति मीणा निवासी बिडोली तहसील लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री अविनाश नागर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री सतीश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 03 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांक: 01. 02. 2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं. 01 को ग्राम अमराबाद तहसील लालसोट में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 21/1 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा का आवंटन कर दिया गया परन्तु उसका वाद ग्रस्त भूमि पर आज तक कब्जा नही हुआ। इस लिए इस आवंटन का प्रार्थी को कोई ज्ञान नही हुआ। उक्त अवैध आंवटन आदेश दिनांक 22.05.1986 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 3 को पक्षकार बनाया गया तथा मूल प्रार्थना पत्र 14(4) पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की अप्रार्थी सं. 01 श्रीमति नर्बदा देवी शर्मा ने आज तक कृषि कार्य नही किया। वाद ग्रस्त भूमि पर न तो उसने कब्जा प्राप्त किया न ही आज तक उसका कब्जा रहा है। क्योकि वाद ग्रस्त भूमि पर आवंटन पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा है। आंवटन की यह शर्त थी कि प्रथम वर्ष में आधा व दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि काश्त करनी पडेगी वरना आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा इस शर्त की पालना न करने कारण आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थी व उसके परिवार के लोगो ने एक पुख्ता कुएँ का निर्माण 70–75 वर्ष पूर्व से कर रखा है। इस पुख्ता कुएँ को हडपने के लिए इस आवंटन की फर्जी कार्यवाही गुपचुप में की गई है। प्रश्नगत भूमि आवंटन योग्य ही नहीं है क्योंकि नदी नालो की जमीन है। राजस्व रिकॉर्ड में भी इसका इन्द्राज खातली हो रहा है। खातली भूमि नाले की भूमि को ही कहा जाता है। वादग्रस्त भूमि के सहारे एक बंधा या एनीकट बन गया है जिसका पानी भी वादग्रस्त भूमि में भरता है, इसलिये वादग्रस्त भूमि भी वस्तुतः बांध की भूमि हो गयी है जो आवंटन योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में पारित निर्णयानुसार पानी के बहाव व नदी नाले की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

1. 1980 आर आर डी 315 राज0 हाइकोर्ट,
2. 1989 आर आर डी 203 राज0 हाइकोर्ट,
3. 2003 आर आर डी 805 राजस्व मण्डल,
4. 1994 आर आर डी 89 राजस्व मण्डल,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 22.5.86 को आवंटन कमेटी की सिफारिश पर अप्रार्थी सं0 1 नर्बदा देवी पत्नि नाथूलाल शर्मा निवासी अमराबाद को ग्राम अमराबाद में खसरा नं0 21/1 में से 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नं0 277/21 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिसके गत खसरा नं0 21/1 थे का बेचान उक्त भूमि के खातेदार नर्बदा पत्नि नाथूलाल ने नन्दकिशोर पुत्र ओंकार जाति ब्राह्मण निवासी डिगो तहसील लालसोट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया तथा नन्दकिशोर से प्रार्थिया नैना देवी पत्नि काना जाति मीणा निवासी बिडोली तहसील लालसोट जिला दौसा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। चूंकि प्रश्नगत भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के नाम नियमानुसार आवंटन की गई है एवं अप्रार्थी सं0 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। आवंटन दिनांक 22.5.86 को किया गया है एवं अपील वर्ष 2011 में की गई है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है एवं विलम्ब का कोई कारण भी अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कराये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.5.86 को आवंटन कमेटी की सिफारिश पर अप्रार्थी सं0 1 नर्बदा देवी पत्नि नाथूलाल शर्मा निवासी अमराबाद को ग्राम अमराबाद में खसरा नं0 21/1 में से 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि आवंटन आदेश दिनांक 22.5.86 बहक नर्बदा देवी पत्नि नाथूलाल शर्मा निवासी अमराबाद तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर यदि प्रश्नगत भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित हो तो विधिवत रेफरेन्स तैयार कर सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे तथा जिला अभिलेखागार से प्राप्त मूल अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official